प्रेस नोट **दिनांक 28.05.2026**

गुमशुदा 03 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 60,000 रुपये) बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में विभिन्न थानों द्वारा जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम थाना रामपुर द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 02 शिकायत का निस्तारण कर तत्काल तकनीकि सहायता आवेदक 01. सरोजा देवी निवासिनी देवनाथ पुर थाना मधुबन मऊ. 2. अनु अहमद पुत्र जमशेद अहमद निवासी फतेहपुर मंडाव थाना रामपुर जनपद मऊ, व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 1. मो0 सुलेमान पुत्र कमालउद्दीन नि0 मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के कुल 03 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल का विवरण: –

1. सरोजा देवी निवासिनी देवनाथ पुर थाना मधुबन मऊ Vivo T4 5G अनुमानित कीमत 23000/- गुम स्थान मर्यादपुर बाजार
2. अनु अहमद पुत्र जमशेद अहमद निवासी फतेहपुर मंडाव थाना रामपुर जनपद मऊ MOTO G-64 5G अनुमानित कीमत 15000 गुम
3. अदद मोबाइल REALME 12 PLUS (कीमत 22000/- रूपये)

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

सोशल मीडिया पर रील बनाने और सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले 05 युवक गिरफ्तार, मोटेड मोटरसाइकिल सीज -

जनपद मऊ पुलिस द्वारा थाना सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दिनांक 27.05.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा सड़क पर खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल से स्टंटबाजी करने वाले 05 युवको को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियो के खिलाफ थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाने, स्टंटबाजी करने व दूसरों की जान खतरे में डालने के सन्दर्भ में सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की गयी।

घटना का संक्षिप्त का विवरणः

कल दिनांक 27.05.2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें 05 युवक सार्वजनिक सड़क (हाईवे मुख्य मार्ग) पर बिना हेलमेट के, तेज रफ्तार में मोपेड मोटरसाइकिल पर खड़े होकर अव्यवस्थित व खतरनाक तरीके से बैठकर स्टंट करते हुए जा रहा थे तथा बालिकाओं को देखकर छींटाकशी किये जाने की बात प्रकाश में आयी। इस दौरान न सिर्फ उसकी खुद की जान जोखिम में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों की सुरक्षा व जान माल के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था जिससे कोई बड़ी घटना कारित हो सकती थी।

पुलिस की त्वरित कार्यवाहीः

थाना दक्षिणटोला पुलिस टीम व यातायात पुलिस की सयुक्त कार्यवाही के फलस्वरुप वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिजिटल सर्विलांस की मदद से आरोपी 05 युवको को आज दिनांक 28.05.2026 को समय करीब 12.05 बजे हमीनपुरा चट्टी के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया। पटना में प्रयुक्त TVS XL 100 मोपेड नंबर UP54 AV 6131 को मोटर वाहन अधिनियम MV Act के तहत सीज कर दिया गया है।

पंजीकृत अभियोग :

1. मु.अ.सं. 81/2026 धारा 296/281 बीएनएस व 184/207 एमवी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः

1. संजीत सोनकर पुत्र अशोक सोनकर निवासी ग्राम औरंगाबाद खटीक टोला थाना दक्षिणटोला
2. नितेश सोनकर पुत्र महेश सोनकर निवासी ग्राम औरंगाबाद खटीक टोला थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. दारा सोनकर पुत्र दिनेश सोनकर निवासी ग्राम औरंगाबाद खटीक टोला थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. अशीष सोनकर पुत्र बल्ली सोनकर निवासी ग्राम औरंगाबाद खटीक टोला थाना दक्षिणटोला मऊ
5. प्रियांशु सोनकर पुत्र सन्तोष निवासी ग्राम औरंगाबाद खटीक टोला थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ

आम जनता के लिए मऊ पुलिस की विशेष अपीलः

"रील्स पर चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को दांव पर न लगाएं। स्टंटबाजी करने के लिए सड़कें नहीं, बल्कि निर्धारित ट्रैक होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी या हुड़दंग करता पाया गया, तो उसके खिलाफ बिना किसी दिलाई के सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वाहन को सोज कर दिया जाएगा। माता-पिता से भी अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और उन्हें जिम्मेदारी से वाहन चलाने के लिए प्रेरित करें।"

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 28.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 34 टीम गठित कर जनपद के 41 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1200 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 522 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।